झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग।

आ०सं०–8 / ज०स०(नि०)देव–06 / 08:–..राँची, दिनांक:–............................

आदेश

श्री रामेश्वर सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल बरहरवा, साहेबगंज के पद पर पदस्थापन अवधि में गुमानी मुख्य नहर पर निर्मित पथीय सेतु के मूल एकरारनामा के विरूद्ध बढ़ी हुई राशि का पूरक एकरारनामा करने संबधित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या 821 दिनांक 19.04.2012 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई।

3. सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री रामेश्वर सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है–

(1) श्री सिंह के पेंशन से 10% राशि की कटौती।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/–

(डॉ० लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:– 3021 /राँची, दिनांक:– 9-4-14 /

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना सचिवालय, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बरहरवा, साहेबगंज/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, साहेबगंज/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/संयुक्त सचिव (प्रबन्धन), जल संसाधन विभाग, राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), जल संसाधन विभाग, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची/श्री रामेश्वर सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पता–4E/13 रामकृष्ण पथ, उत्तरी कृष्णपुरी, पटना–13 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ० लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।